31

क्रम-संख्या—73

रजि० नं० एल० डब्ल्यू०/एन० पी० 890
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०—41
लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 मार्च, 1999

चैत्र 5, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 783/सत्रह-वि0-1—1 (क) 16-1999

लखनऊ, 26 मार्च, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 25 मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975 की धारा 52 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 की, जि मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 52 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द "ऐसी दर पर उद्गृहीत किये जायेंगे," के पर शब्द "नगर से भिन्न किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसी दर पर उद्गृहीत किये ज रख दिया जायगा।

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी ज अर्थात् :—

"(3) उपधारा (1) में उल्लिखित कर, किसी नगर में ऐसी द उद्गृहीत किये जायेंगे जो भू-गृहादि के, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधि 1959 के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के, जलकर की दशा में साढ़े प्रतिशत से कम और साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और सी व्यवस्था संबंधी कर की दशा में ढाई प्रतिशत से कम तथा पांच प्रतिश अधिक नहीं होगी, जैसा राज्य सरकार निगम की सिफारिशों पर विचार व के पश्चात् समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।"

(ग) इस प्रकार बढ़ाई गई उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजन के लिये,—

(एक) पद "नगर" का अर्थ वही होगा जो उत्तर प्रदेश नगर निग अधिनियम, 1959 में उसके लिये समनुदेशित है; और

(दो) पद "सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कर" का अर्थ वही होगा उ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में, "जल-निस्तारण कर" लिये समनुदेशित है।"

धारा 53 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 53 में,—

"(क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 52" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 52 की उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "धारा 52 में उल्लिखित करों" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन करों" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 783 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 16-1999

Dated Lucknow, March 26, 1999

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jal Sambharan Tatha Sewar Vyawastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 25, 1999.

THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE (AMENDMENT) ACT, 1999

(U. P. ACT No. 16 OF 1999)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth-Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 1999.

Amendment of section 52 of U. P. Act no. 43 of 1975

2. In section 52 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) In sub-section (2), *for* the words "shall be levied" the words "shall, in a local area other then a city, be levied" shall be *substituted*.

(*b*) *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) The taxes mentioned in sub-section (1), shall, in a city, be levied at such rate which in the case of water tax shall not be less than 7.5 percent and not more than 12.5 per cent and in the case of sewerage tax shall not be less than 2.5 percent and not more than 5 percent of the annual value of the premises determined under the Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959, as the State Government may, from time to time, after considering the recommendation of the Nigam, by notification in the *Gazette*, declare."

(*c*) *after* sub-section (3) as so *inserted* the following explanation shall be *inserted*, namely :—

"*Explanation* : —*for* the purposes of this section—

(i) the expression "city" shall have the measuring assigned to it in the Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959; and

(ii) the expression "sewerage tax" shall have the same meaning as the "drainage tax" has been assigned in the Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959."

Amendment of section 53

3. In section 53 of the principal Act,—

"(*a*) in sub-section (1), *for* the words and figure "section 52", the words and figures "sub-section (2) of section 52" shall be *substituted* ;

(*b*) in sub-section (2), *for* the words and figure "levy of taxes mentioned in section 52", the words and figures "levy of taxes under sub-section (2) of section 52" shall be *substituted*."

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 318 सा० विधा०—(2518)—1999—850 (मैके०) ।